**भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ**

**फा. सं. 6/40/2024-डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**

**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**दिनांक: 30.09.2024**

**<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>**

**<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 37/2024</u>**

**विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।**

मै. एक्पेंडिड पॉलीमर सिस्टम्स प्रा.लि.(जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

**क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

2. विचाराधीन उत्पाद निर्यातित "कोपॉलिमर पॉलीओल ऑफ हाइड्रोक्सिल वेल्यू >= 23.5" है। पीयूसी को बाजार की भाषा में पॉलीमर पॉलीओल के रूप में भी जाना जाता है ।

3. पीयूसी का प्रयोग मुख्य रूप से फ्लेक्सिबल फोम के विनिर्माण के लिए किया जाता है; जो मुख्य रूप से गद्दों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है । यह एक पॉलीमर

पॉलीओल है जो स्लैब पॉलीयुरेथिन फोम के विनिर्माण की प्रक्रिया में जोड़े जाने पर स्लैब फोम की सख्ती में सुधार करता है। संबद्ध वस्तु को एच एस कोड 39072910 और 39072990 के तहत अध्याय शीर्ष 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

4. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर पी यू सी और प्रस्तावित पी सी एन के कार्यक्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं ।

**ख. <u>समान वस्तु</u>**

5. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशेषताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं । संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । अतः, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजन हेतु, जांच दल ने यह निर्णय करने का प्रस्ताव किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है ।

**ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>**

6. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है :-

*"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित*

*वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।*

7. आवेदन मै. एक्सपेंडिड पॉलीमर सिस्टम्स प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक भारतीय उत्पादन के 100 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है ।

8. आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, आवेदक पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं रहा है।

9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक घरेलू उत्पादक एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन ए डी डी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की अनिवार्यताओं को पूरा करता है ।

**घ. <u>संबद्ध देश</u>**

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**ङ. <u>जांच की अवधि</u>**

11. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) की अवधि प्रस्तावित की है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023 और पी ओ आई है ।

## च. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. प्राधिकारी का लगातार अभ्यास चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने का रहा है, जब तक कि चीन जन. गण. से उत्पादक यह न दर्शाएं कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा- 7 के अनुसरण में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं ।

13. आवेदक ने चीन पीआर के मामले में भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। इसलिए, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को उचित लाभ मार्जिन सहित, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ भली भांति समायोजित आवेदक की उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है ।

## छ. निर्यात कीमत

14. विषयगत वस्तुओं का निर्यात मूल्य आवेदक के डेटा से विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात डेटा को शुद्ध निर्यात मूल्य (एनईपी) के निर्धारण के लिए विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के लिए माना गया है। एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन किया गया है।

## ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है । इसलिए, इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है ।

## झ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संबंध

16. आवेदक ने घरेलू उद्योग को "क्षति" से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर सूचना उपलब्ध कराई है, जैसा कि नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है । आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं जो चीन जन.गण. से कथित पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुई है ।

17. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण आवेदक को हुई क्षति के संबंध में जानकारी प्रदान की है। विषयगत देश से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। विषयगत देश से मूल्य में कटौती सकारात्मक है। डंप किए गए आयातों के कारण मूल्य में कमी के कारण आवेदक को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया है, ताकि वह पूरी लागत वसूल कर सके तथा उचित दर पर प्रतिफल प्राप्त कर सके। आवेदक को वित्तीय घाटा हो रहा है। विषयगत देश से डंप किए गए आयातों के कारण आवेदक को हुई भौतिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो एंटी-डंपिंग जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

## ञ. जांच की शुरूआत

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर एवं ए डी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 9क के अनुसरण में, प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

## ट. प्रक्रिया

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ठ. **सूचना प्रस्तुत करना**

20. सभी पत्र-व्यवहार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और जो संबद्ध वस्तुओं के साथ संबद्ध होने के लिए ज्ञात हैं, ऐसे प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

## ड. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने अथवा घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा उसे परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड तथा नियमावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में तत्काल अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे ए डी डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

## ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को ए डी डी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी सारी सूचना, जो स्वरूप से गोपनीय है और/या कोई अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके बारे में ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना के बारे में, जिसके संबंध में स्वरूप द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है या ऐसी सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, तो ऐसी सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के साथ पर्याप्त कारणों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है कि ऐसी सूचना को क्यों प्रकट नहीं किया जा सकता ।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अगोपनीय पाठ के साथ, अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश की उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिसों के संदर्भ में एक पर्याप्त और यथोष्ट स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

33. हितबद्ध पक्षकार संबंधित अनुरोधों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में बताया गया है।

34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें ।

## त. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग-अलग संप्रेषण के जरिए प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

**(दर्पण जैन)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**